राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5459/2022

भारती गुप्ता (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएसएम201732037428)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022
आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एलडीसी के पद पर खानपुर बरोदा, ग्राम पंचायत , पंचायत समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने एलडीसी के पद पर चयन हेतु पंचायती राज विभाग की चयन प्रक्रिया 2013 में भाग लिया था, जिस पर आदेश दिनांक 26.06.2013 के द्वारा अपीलार्थी का चयन किया गया। परंतु अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। बाद में दिनांक 22.11.2017 में अपीलार्थी को नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी को नोशनल बेनेफिट नहीं दिया गया, जो समान व्यक्तियों को दिया गया। आगे उनका तर्क है कि इसी प्रकार के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Gyan singh & ors. V.State सिविल रिट पिटिशन संख्या 1025/2021 दिनांक 21.01.2021 मे निर्णय प्रदान किया गया। जिसके आधार पर नोशनल बेनेफिट प्राप्त करने का अधिकारी है। सिविल रिट संख्या

9550/2019 अंतिम कुमार सिंघल बनाम राज्य दिनांक 30.05.2019 में भी इसी प्रकार का निर्णय जयपुर ने दिया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)